म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.
(म.प्र.शासन का उपकम)
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551756, 2551978
CIN NO-UO1119mp1969GC001055

क्र./मुख्या./उद्यान/पुष्प रोपणी सामग्री/2026–27/ 2139 दिनांक – 03/11/26

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

.....

प्रसारण कं. – 01

विषय– वर्ष 2026–27 एवं आगे की अवधि हेतु **पुष्प रोपणी सामग्री (Hybrid Merigold)** की प्रदाय दरों के संबंध में।

निगम द्वारा वर्ष 2026–27 एवं आगे की अवधि के लिए **पुष्प रोपणी सामग्री** के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था। सामग्री के प्रदाय हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं के अनुसार निम्नलिखित प्रदायकों से अनुबंध निष्पादित कर दरों के अनुमोदन जारी किए जाते हैं :–

Sr	NAME OF SUPPLIER	NAME OF PRODUCER
01	**M/s Aruna Enterprises** CM-68, Sector-C, Shahapura, Bhopal, MP- 462039 E mail-ar.enterpris@yahoo.co.in Mobile - 9826042216	Namdeo Umaji Agritech Pvt Ltd
02	**M/s Aruna Seeds** A-235, Sector-A, Shahapura, Bhopal, MP- 462039 E mail-arunaseedsbhopal@gmail.com Mobile - 9826011273	East West Seeds India
03	**M/s Asmi Enterprises** M/F-37B, Mansarovar Complex, Bhopal, MP- 462011 E mail-asmienterprises79@gmail.com Mobile - 9340989461	Bhalsar Seeds India Pvt Ltd
04	**M/s Indo US Biotech** 309, Shanti Mall, Satadhar Char rasta, Opp. Navrang Tower, Ghatlodiya, Ahemdabad, Gujarat-380061 E mail-government@indo-us.com Mobile - 8357978237	Self
05	**M/s Narmada Marketing** M/F-37A, Mansarovar Complex, Bhopal, MP-462011 E mail-parsaisanjay74@gmail.com Mobile - 9826391447	Crystal Crop Protection
06	**M/s Roxhartd Agriorgenics** Block no AF no 102, Shalimar Regency, Gulmohar colony, Bhopal, MP- 462016 E mail-rox_agr@rediffmail.com Mobile - 9926520199	Seedwork International
07	**M/s Saurabh Sales Corporation** F-1, Babadeep complex, Maharani road, Siyaganj, Indore, MP- 452007 E mail- sanjeevagrawal43@gmail.com Mobile - 9826053873	Safal Seeds & Biotech

2. पत्र के साथ उत्पादक कम्पनीवार बीजों की विक्रय दरें संलग्न की जा रही हैं। निगम द्वारा जारी अनुमोदित दरें प्रथम दर प्रसारण दिनांक से आगामी तीन माह तक प्रभावशील रहेंगी, परन्तु इन दरों की प्रभावशीलता को निगम द्वारा नीवन दर प्रसारण होने तक बढ़ाया जा सकेगा।

वर्ष 2026–27 एवं आगे की अवधि हेतु जारी रेट कांट्रेक्ट ऑफर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर रिकार्ड में रखा जाए तथा रेट कांट्रेक्ट ऑफर में वर्णित शर्तों एवं कंडिकाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए।

3. **प्रदायगी की शर्तें :–**

क्रेता विभाग से प्राप्त किस्मवार/प्रदायकवार मांग एवं अनुशंसा अनुसार निगम के जिला प्रबंधक प्राप्त मांग/क्रय आदेश क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा सामग्री के प्रदाय आदेश जारी किए जाएगें।

प्रदायक को निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। आवश्यकता अनुसार यह समय–सीमा घटाई भी जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रदाय आदेश जारी किये जाने के उपरांत आदेश में दी गई निर्धारित अवधि में आदेशित मात्रा, पैकिंग एवं आरसीओ की शर्तो के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की गुणवत्ता पूर्ण सामग्री का प्रदाय किया जाना आवश्यक है।

3.1 निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में क्रेता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी विधिवत् सूचना प्रदायक को दी जावेगी। प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के मान से आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नही किया जावेगा।

3.2 परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेन्ट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी।

3.3 क्रेता विभाग की आवश्यकता अनुसार वांछित मात्रा में पैकिंग कर प्रदायक को प्रदायगी की जाना होगा। आवश्यकता अनुसार पैकेट पर सीड एक्ट/राज्य/केंद्र शासन के प्राधिकृत विभागों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप जानकारी अंकित की जाना है।

3.4 आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुँचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी।

3.5 प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :–

क्रं	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	**0.25%** प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	**0.50%** प्रति सप्ताह
3	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए अनुबंध को निरस्त किये जाने एवं निगम के माध्यम से आगामी 01 से 05 वर्षों तक व्यवसाय हेतु प्रतिबंधित किया जा सकता है, प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम और बंधनकारी रहेगा।

4. सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रदाय नहीं किये जाने पर क्रयकर्ता/उपयोगकर्ता को हुई हानि की भरपाई किये जाने का उत्तरदायित्व प्रदायक का रहेगा।

5. गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं होने या प्रदाय में अन्य किसी भी प्रकार की विसंगति के चलते क्रेता/उपयोकर्ता द्वारा निगम के विरूद्ध किसी भी प्रकार की न्यायालयीन/उपभोक्ता फोरम आदि में कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही के क्रम में निगम द्वारा किये जाने वाले व्यय तथा सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित क्रेता को किसी प्रकार की डिक्री अरोपित की जाती है, तो उसकी भरपाई प्रदायक को की जाना होगी/निगम प्रदायक को देय भुगतान में से राशि का समायोजन कर सकेगा।

6. प्रदायक द्वारा बीज प्रदायगी के प्रकरण में बीज अधिनियम–1966, बीज नियम 1968 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 के निर्धारित मापदण्ड एवं समय समय पर अद्यतन निर्देश पूरे करने होंगे।

7. बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कोई भी सामग्री का प्रदाय नहीं किया जावे। प्रदायक द्वारा किसी सामग्री का प्रदाय बिना निगम आदेश के क्रेता विभाग को किया जाता है तो प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी। ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नही होगा। विशेष परिस्थिति में बिना आदेश के प्रदाय की गई सामग्री को मान्य करने का निर्णय प्रबंध संचालक ले सकेगें।

8. <u>कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :–</u>

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड/पैकिंग/समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :–

(अ) उचित/निर्धारित पैकिंग न होने की दशा में ।

(ब) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में।

यदि उक्त कारणो के आधार पर कन्सानइमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नही रहेगा।

9. <u>भुगतान :–</u>

मुख्यालय/जिला प्रबंधक द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :–

(अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार केता विभाग से पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों एवं प्रदायकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षयुक्त पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने एवं देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 07 दिवस में किया जावेगा। (परिशिष्ट–1)

(ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग से निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार (प्राप्तकर्ता विभाग तथा निगम के अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त) संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सामान्यतः 180 दिवस में किया जावेगा।

(स) यदि संबंधित विभाग द्वारा 180 दिवस की समय–सीमा में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तथा प्रदायित सामग्री के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है और निगम को पूर्ण राशि भी प्राप्त हो चुकी हो तो निगम संबंधित विभाग को सूचित करते हुये शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित प्रदायक को कर सकेगा। (परिशिष्ट–2)

10. प्रदायकर्ता द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपकम को प्रदाय किए जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है, तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किए गए अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे।

11. यह दरें निगम के माध्यम से व्यवसाय किये जाने के लिए प्रसारित की जा रही हैं। इन प्रसारित दरों के अन्य किसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित दर न माना जाए। यदि किसी भी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर सीधे प्रदायकों से कय किया जाता है तो उसके लिए निगम किसी भी रूप में उत्तरदायी नही होगा।

प्रदायगी की शेष शर्तें रेट कांट्रेक्ट ऑफर में वर्णित शर्तों एवं अनुबंध के अनुसार रहेंगी। इस प्रसारण के उपरांत संकर गेंदा पुष्प बीजों की पूर्व में प्रसारित विक्रय दरें स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

प्रबंधक (उद्यान)

कमांक/मुख्या/उद्यान/पुष्प बीज/2026–27/ 2140 दिनांक –03/11/26

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल।
4. मुख्य वन संरक्षक/अनुसंधान एवं विस्तार, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. आयुक्त, रेशम संचालनालय, भू–तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (समस्त जिला)।
7. उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (समस्त जिला)।
8. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मेसर्स.....की ओर सूचनार्थ।
10. प्रभारी अधिकारी, आईटी, mpfsts.helpdesk@mp.gov.in की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबंधक (उद्यान)

म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551756, 2551978

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

वर्ष 2026–27 एवं आगे के लिए संकर गेंदा पुष्प बीज के प्रदाय की अनुमोदित दर

M/s Saurabh Sales Corporation

क्रं.	बीज	प्रजाति	इकाई	विक्रय दर राशि रू. (5% निगम मार्जिन सहित FOR Destination)
1	Hybrid Merigold	Narangi	Per 1000 seeds	1200/-
		Yellow Passion	Per 1000 seeds	1200/-
		Victoria	Per 1000 seeds	1200/-
		Mastani	Per 1000 seeds	1200/-
		Sunaheri	Per 1000 seeds	1200/-

प्रबंधक (उद्यान)

म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551756, 2551978
CIN NO-UO1119mp1969GC001055

वर्ष 2026–27 एवं आगे के लिए संकर गेंदा पुष्प बीज के प्रदाय की अनुमोदित दर

M/s Aruna Seeds

क्र.	बीज	प्रजाति	इकाई	विक्रय दर राशि रू. (5% निगम मार्जिन सहित FOR Destination)
1	Hybrid Merigold	Bengal Yellow	Per 1000 seeds	1200/-
		Super Yellow	Per 1000 seeds	1200/-
		Apsara Yellow	Per 1000 seeds	1200/-
		Yellow King	Per 1000 seeds	1200/-
		Yellow Glory	Per 1000 seeds	1200/-
		Bengal Orange	Per 1000 seeds	1200/-

प्रबंधक (उद्यान)

म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551756, 2551978

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

वर्ष 2026–27 एवं आगे के लिए संकर गेंदा पुष्प बीज के प्रदाय की अनुमोदित दर

M/s Aruna Enterprises

क्र.	बीज	प्रजाति	इकाई	विक्रय दर राशि रू. (5% निगम मार्जिन सहित FOR Destination)
1	Hybrid Merigold	Zen Orange	Per 1000 seeds	1200/-
		Zen Yellow	Per 1000 seeds	1200/-
		Scorpio Yellow	Per 1000 seeds	1200/-
		Scorpio Orange	Per 1000 seeds	1200/-
		Scorpio Yellow Plus	Per 1000 seeds	1200/-
		Sonata Orange	Per 1000 seeds	1200/-
		Sonata Yellow	Per 1000 seeds	1200/-
		Sonata Gold	Per 1000 seeds	1200/-

प्रबंधक (उद्यान)

म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551756, 2551978

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

वर्ष 2026–27 एवं आगे के लिए संकर गेंदा पुष्प बीज के प्रदाय की अनुमोदित दर

M/s Narmada Marketing

क्र.	बीज	प्रजाति	इकाई	विकय दर राशि रू. (5% निगम मार्जिन सहित FOR Destination)
1	Hybrid Merigold	Light Yellow	Per 1000 seeds	1200/-
		Light Orange	Per 1000 seeds	1200/-
		Gold Spot (G-5)	Per 1000 seeds	1200/-
		Narayanpuri-2	Per 1000 seeds	1200/-

प्रबंधक (उद्यान)

म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551756, 2551978

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

वर्ष 2026–27 एवं आगे के लिए संकर गेंदा पुष्प बीज के प्रदाय की अनुमोदित दर

M/s Asmi Enterprises

क्र.	बीज	प्रजाति	इकाई	विक्रय दर राशि रू. (5% निगम मार्जिन सहित FOR Destination)
1	Hybrid Merigold	BSI-001	Per 1000 seeds	1200/-
		BSI-002	Per 1000 seeds	1200/-
		BSI-003	Per 1000 seeds	1200/-
		BSI-005	Per 1000 seeds	1200/-

प्रबंधक (उद्यान)

म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551756, 2551978

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

वर्ष 2026–27 एवं आगे के लिए संकर गेंदा पुष्प बीज के प्रदाय की अनुमोदित दर

M/s Indo US Biotech

क्रं.	बीज	प्रजाति	इकाई	विक्रय दर राशि रू. (5% निगम मार्जिन सहित FOR Destination)
1	Hybrid Merigold	Orange 999 F1	Per 1000 seeds	1200/-
		Yellow 99 F1	Per 1000 seeds	1200/-

प्रबंधक (उद्यान)

म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551756, 2551978

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

वर्ष 2026–27 एवं आगे के लिए संकर गेंदा पुष्प बीज के प्रदाय की अनुमोदित दर

M/s Roxhartd Agriorgenics

क्र.	बीज	प्रजाति	इकाई	विक्रय दर राशि रू. (5% निगम मार्जिन सहित FOR Destination)
1	Hybrid Merigold	SW502	Per 1000 seeds	1200/-
		SW504	Per 1000 seeds	1200/-
		SW507-IMP	Per 1000 seeds	1200/-
		SW510	Per 1000 seeds	1200/-
		SW513	Per 1000 seeds	1200/-

प्रबंधक (उद्यान)

परिशिष्ट –1

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान का आदेश कमांक

दिनांक

योजना का नाम.....

घटक का नाम

वर्ष

निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के आदेश कमांकदिनांक के कम में प्रदायक मेसर्सद्वारा चालान/देयक कं. दिनांक से निम्नानुसार संकर पुष्प बीज (Hybrid Flower Seeds) का प्रदाय किया गया है।

कं.	संकर पुष्प बीज का नाम	बीज की किस्म	प्रदायक का चालान कं./दिनांक	प्राप्त मात्रा	सामग्री की गुणवत्ता
1					
2					

उक्तानुसार प्राप्त सामग्री का भौतिक सत्यापन आज दिनांक को संबंधित प्राप्त कर्ता विभाग के सक्षम अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। उपरोक्तानुसार बीज सही हालत में प्राप्त हुआ है और निगम मुख्यालय द्वारा जारी दर अनुमोदन पत्र/आरसीओ की शर्तो एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार है, जिसे हितग्राहियों को वितरित करने की अनुशंसा की जाती है।

उप /सहायक संचालक उद्यान
.....
कार्यालय जिला
(सील मुद्रा सहित)

जिला प्रबंधक
.....
(सील मुद्रा सहित)

प्रदायक के हस्ताक्षर
(सील मुद्रा सहित)

परिशिष्ट –2

कार्यालय उप/सहायक संचालक उद्यान

कार्यालय का नाम

जिला

कमांक दिनांक

संतुष्टी रिपोर्ट

उप/सहायक संचालक का आदेश कमांक

योजना का नाम.....

घटक का नाम

वर्ष

जिला प्रबंधक, एम पी स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज द्वारा चालान/देयक कमांक
दिनांकसे (सामग्री का नाम).....
कुल मात्रा..... राशि रु.....
..... का प्रदाय किया गया है ।

उपरोक्तानुसार प्रदाय किये गये बीज निगम मुख्यालय द्वारा जारी अनुमोदन पत्र/आरसीओ की शर्तो एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार है तथा **संकर पुष्प बीज** (**Hybrid Flower Seeds**) की गुणवत्ता के संबंध में फील्ड से इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त नही हुई हैं।

उप/सहायक संचालक उद्यान

.....

जिला

(सील मुद्रा सहित)